

न्यायालय राजस्व मण्डल गवालियर, मोप०, छपीठ रीवा संभाग रीवा



(195) प्रकाश क्रमांक R 3758 संग्रह/13

(319)

1- यशभान सिंह

2- विमलभान सिंह (मृत्यु के बाद भाई के जापे ११) अर्थात् २२/११ बंसोपुर (मोप०)

3- राजबदादुर सिंह

2- औ बेनाक्षान कुमारी (जीवन बंडुली)

4- इन्द्रबदादुर सिंह

स्थिति (उ) "क" मृत्यु बंडुली तराया

चारों के पिता बलदेव सिंह (जीवन बंडुली) अर्थात् ३ राजेन्द्र खण्डगापत्र रेखा विभागोंमा

5- देवेन्द्र बहादुर सिंह

6- राजेश प्रताप सिंह

तनय श्री कमलभान सिंह सभी जाति धार्मिय, निवासी ग्राम अर्जुनपुर पैकान, धाना

व तह. हनुमना, जिला रीवा, मोप० -

-- निगराकारण

बनाम

1- श्री भैरव सिंह तनय श्री जगजीवन सिंह

2- श्री श्रवण कुमार सिंह तनय श्रीबलिराज सिंह

3- सुनीता सिंह पुत्री सवाईलाल सिंह

सभी जाति धार्मिय, निवासी ग्राम अर्जुनपुर, धाना व तह. हनुमना, जिला रीवा

मोप० - -- गैरनिगराकारण

निगरानी विस्तृद आदेश न्यायालय अनुचिभागीय

अधिकारी हनुमना/मऊंगंज के राजस्व प्रकरण क्रमांक

152/ए-6/2003-04 आदेश दिनांक 04.09.2013,

अन्तर्गत धारा 50 मोप० भा. रा. सं. 1959 के तहत।

मान्यवर,

संघिष्ठ विवरण इस प्रकार है, निगराकारण एवं गैरनिगराकारण के मध्य जरिये प्रकरण क्र० 12/अ-46/74-75 आदेश दिनांक 25.6.76 के द्वारा

अपीलाधानभूमियो संबंधी प्रकरण निराकृत किया जाकर गैरनिगराकार के हक मेनामांतरण विचारण न्याया अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया, जिसकी अपील

195

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R: 3758-III/13 जिला शीरा

अभिभावना संहिता विरुद्ध श्री भैरव राजे

1	2	3
16.1.19 -	<p>1. आवेदक की ओर से श्री राजभाऊ संहिता अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुमना/भुजोंग के प्रकरण क्रमांक 152/रु-6/20.03-04 में पारित आदेश दिनांक 04.09.13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शीरा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 26.3.19 को कलेक्टर शीरा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">h</p> <p style="text-align: right;">✓</p>	

सदस्य